IIM: पहला केस हाउस, यहां 8 लैंग्वेज में तैयार किया जा रहा केस स्टडी मटेरियल

CB EXCLUSIVE

अनुराग सिंह. रायपुर

नवा रायपुर स्थिति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) में केस हाउस ऑफ आईआईएम रायपुर (सीएचआईआरपी) शुरू किया गया है। यह देश का अपनी तरह का पहला केस स्टडी सेंटर है, जो एनईपी (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी) के तहत डेवलप किया गया है।

यहां नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी केस ट्रांसलेट किए जा रहे हैं। केस हाउस शुरू होने से इंस्टीट्यूट में ही भारतीय घटनाओं और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग कंपनियों के केस स्टडी मटेरियल तैयार किए जा रहे हैं। केस हाउस में अब तक 25 केस पिल्लश भी किए जा चुके हैं, जिसमें 22 बिजनेस और 3 पिल्लक एडिमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं। इस पहल से इंस्टीट्यूट में एकेडिमिक और केस आधारित शिक्षा व रिसर्च को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस टीचिंग केस स्टडी को अन्य इंस्टीट्यूट भी खरीद सकेंगे। इसे सॉफ्ट और हार्डकॉपी दोनों में तैयार की जा रही है।

जानिए, क्यों जरूरी है केस स्टडी

प्रति कॉपी के लिए 4 डॉलर खर्च

इंस्टीट्यूट की ओर से स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कई प्रकार के केस स्टडी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए इंस्टीट्यूट हॉवर्ड सहित कई बड़े यूनिवर्सिटी से केस मटेरियल की खरीदी की जाती है। इसमें प्रति कॉपी लगभग 4 डॉलर का खर्च इंस्टीट्यूट को करना होता है।

200 केस स्टडी करनी होती है

आईआईएम की बात करें तो हर स्टूडेंट्स को दो साल की पढ़ाई के दौरान लगभग 200 केस की स्टडी करनी होती है। इससे इंस्टीट्यूट को लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। इंस्टीट्यूट में ही केस डेवलप करने से लाखों की बचत होगी। स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल व नेशनल रिसर्च वर्क भी मिलेंगे।



आईआईएम के डायरेक्टर प्रोफेसर रामकुमार काकानी ने बताया कि हमने केस स्टडी तैयार करने की शुरुआत कर दी है। ये इंग्लिश के अलावा एरेबिक, स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज में उपलब्ध है। इसके लिए इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से कोलाबरेशन भी किया गया है। इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी केस को ट्रांसलेट करने वाला इंस्टीट्यूट देश में पहला है। यही नहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (एनईपी) को इम्प्लीमेंट करते हुए हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु जैसे तीन भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। आईआईएम ऐसा करने वाला देश का पहला इंस्टीट्यूट है।

ऐसे बनाए जाते हैं स्टडी मटेरियल

केस हाउस में भारतीय घटनाओं और परिस्थितियों के अनुसार केस स्टडी मटेरियल तैयार किए जाते हैं। एक्सपर्ट की मानें तो एक टीचिंग केस मटेरियल दो तरह से तैयार किए जाते हैं। पहला होता है कंसल्टेंसी के जिए, जिसमें कोई कंपनी के द्वारा काम दिया जाता है। इसमें कंपनी के डिसीजन को ध्यान में रखा जाता है और देखा जाता है कि इससे सोसायटी, नेशन, स्टॉक और कंपनी पर ही उसका क्या असर होगा। वहीं दूसरा खुद से भी रिसर्च करते हुए केस डेवलप किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कोई गवनिमेंट पॉलिसी है तो उसे कैसे लागू किया जाएगा? उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आने वाले वर्षों में इसमें किस तरह से बदलाव की आवश्यकता होगी? जैसी कई बातों पर भी केस बनाए जाते हैं। हर इंस्टीट्यूट का थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क होता है। उस थ्योरी के अनुसार मेल करते हुए केस डेवलप किए जाते हैं।

Danik Bhaskar, 20th April 2024,p. 6(City Bhasker)